

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

ही रहा है, राजाजी रिपोर्ट में भवालाजी
 पुत्र हीराजीजी केवा कि बाबू कागजात में
 नाम धारणारी भूमि दर्ज है वर्तमान
 तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भू-सूची
 काद गांव भूमि का क्रमिक नं० 343 है
 कि रिपोर्ट आ रहा है, भू-सूची प्रमाण का
 भूमि का अंकिक उपकरण नहीं ही रहा है
 इस प्रकार भू-सूची प्रमाण के राजाजी कागजात
 भारी अधिनियम 1955 का प्रावधान नहीं
 किया जा रहा है न ही प्रमाण 177 में
 तहसीलदार की वर्तमान रिपोर्ट अं-
 सार प्राप्त आता है। नं० कादगांव
 भूमि क्रमिक 332-339 व 343 व 348
 क्रमा 14 क्रमा 379 है भूमि भवालाजी
 पुत्र हीराजीजी केवा की तहसीलदार की
 वर्तमान रिपोर्ट अनुसार 197 का साक्ष्य
 नहीं ही है एवम् राजाजी कागजात भारी अधिन-
 नियम 1955 का प्रावधान नहीं ही है
 177 में तहसील प्रमाण प्रमाण खारीज किया
 जाता है/धनाचार्य 013 तहसील नं० 177
 से कागजात जारी कर दिया है।

उपस्थित अधिकारी
 बाकसू (खिचपुर)